

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/ 2020/222

दिनांक:-06/7/2020

### कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, मानसरोवर, एवं दस्तकार नगर (नायला), जयपुर में निर्मित जयपुर चौपाटी में दुकानों के आवंटन एवं गुणवत्ता की जांच हेतु खाद्य समिति (Food Committee) गठित करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त समिति का कार्य तकनीकी योग्यता मापदण्ड में सफल आवेदन कर्ताओं की खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, स्वाद, अनुभव व प्रस्तुतीकरण पर आवेदकों का मूल्यांकन निर्धारित 100 अंकों की मूल्यांकन शीट के आधार पर करना होगा। समिति निम्नानुसार होगी:-

1- मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा.आ.मण्डल,जयपुर	संयोजक
2- मै. मीता कपूर, खाद्य क्षेत्र की विशेषज्ञ	सदस्य
3- आरटीडीसी से नामित अधिकारी	सदस्य
4- होटल प्रबन्धन संस्थान से नामित अधिकारी	सदस्य
5- सम्बन्धित चौपाटी के उप आवासन आयुक्त	सदस्य
6- सम्बन्धित चौपाटी के आवासीय अभियन्ता	सदस्य सचिव

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त द्वारा EOI (रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण) की समस्त प्रक्रिया उपरान्त सफल आवेदकों का मूल्यांकन व निरीक्षण फूड कमेटी द्वारा किये जाने के उपरान्त अंतिम चयन समिति के प्रस्ताव पर आवासन आयुक्त द्वारा किया जायेगा। परिस्थितिवश एक से अधिक आवेदकों को समग्र मूल्यांकन के उपरान्त समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में लॉटरी द्वारा दुकान का आवंटन किया जायेगा।

(पवन अरोड़ा )  
आवासन आयुक्त

### प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि/मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर/जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-....., रा0आ0म0, ..... (समस्त)
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-....., रा0आ0म0, ..... (समस्त)
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0मं0, जयपुर।
10. प्रभारी मार्केटिंग सेल, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक